


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(11)शिक्षा-2/2019 दिनांक: 11.01.2022 की पालना में निम्नांकित कार्मिकों की राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति किये जाने की अनुमति-प्रदान की जाती है-


क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	श्रीमती सविता मंगल, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)	रामावि झोडिंडा, भोजपुरा, फागी, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
2	श्रीमती नीलम तोलम्बिया, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)	राउमावि जाटावाली, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिक को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13407/स्टेट ओपन/प्रतिनियुक्ति/2015/70 दिनांक: 13 JAN 2022  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर संभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर